रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल
अनीता सर्मा, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/326/2019
दावा पंजीकरण तिथि : 25-11-2019
आदेशार्थ रखने की तिथि : 18th November, 2025
आदेश तिथि : 28th November, 2025

सोनू ऋषि (अब मृत) के विधिक उत्तराधिकारी :–
1) हीरामनी कुमारी पत्नी स्व0 श्री सोनू ऋषि,
2) पल्लवी कुमार पुत्री स्व0 श्री सोनू ऋषि,
3) रामजी ऋषि पिता धन्नू ऋषि,
4) मूथी देवी पत्नी श्री रामजी ऋषि,
निवासी–बोरोपार, पोस्टऑफिस–सिक्कट,
थाना–बरार, सिक्कट, जिला–कटिहार (बिहार) पिनकोड–854115 .....आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (म0प्र0) .....रेस्पोडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री अशोक श्रीवास्तव एवं श्रीमती फरजाना अजीज, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत, रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक)

1. 21 वर्षीय व मजदूरी का कार्य करने वाले आवेदक ने अपने स्वयं के अनपेक्षित घटना में घायल होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 के सेक्शन–16 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत दावा आवेदन में यह कथन किया है कि वह दिनांक 12-06-2019 को साथी–मानिक ऋषि, शिवनारायण ऋषि एवं ललित वर्मा शंकर एवं रूपन ऋषि के साथ कटिहार रेलवे स्टेशन से सागर तक का सेकण्ड क्लॉस जनरल टिकट संख्या BPT-75672542, 44, 46, 50 & 51 (6 Tickets) लेकर महानंदा एक्सप्रेस से इलाहाबाद तक आया और इलाहाबाद स्टेशन से गाड़ी बदलकर उसे सागर जाना था, दिनांक 13–06–2019 को इलाहाबाद में कामायनी एक्सप्रेस में काफी भीड़ होने से वह सवार नहीं हो पाया और सभी लोग स्टेशन पर ही रूक गये. दिनांक 14–06–2019 को उसे सारनाथ एक्सप्रेस में जगह मिल जाने से वह अपने साथियों के साथ सारनाथ एक्सप्रेस से कटनी तक आ रहा था, कटनी में पुनः सागर के लिए गाड़ी बदलना था. मैहर स्टेशन पर आवेदक पानी पीने के लिए नीचे उतरा और वापिस सवार होते समय ट्रेन चलने से लगे उसके झटके से आवेदक अपना संतुलन खो बैठा और वह चलती ट्रेन से नीचे

निरंतर.....2/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

28/11/25

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

गिर गया जिससे उसका बांया पैर घुटने के नीचे से कट गया. रेलवे पुलिस के सहयोग से घायल आवेदक को 108 एम्बूलेन्स के द्वारा मैहर के शासकीय अस्पताल में भेजा गया जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए सतना के जिला चिकित्सालय भेजा गया. यहाँ से साथीलोगों द्वारा दिनांक 19-06-2019 को डिस्चार्ज करवाकर दिनांक 21-06-2019 को कटिहार के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहाँ पर आवेदक का दिनांक 27-09-2019 तक इलाज चलता रहा. अतः उक्त घटना में आई हुई उक्त क्षति के लिए रेस्पाडेन्ट रेलवे से *08 लाख* रूपये प्रतिकर राशि के रूप में प्राप्त करने हेतु आवेदक ने यह दावा आवेदन स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

2. रेस्पाडेन्ट ने जवाबदावे में दावे का विरोध करते हुए आवेदक को अपनी कई बातों को पूख्ता सबूतों से साबित करने का कथन करते हुए वैधानिक तरीके से की गई अपनी जॉच रिपोर्ट में पाये गये निष्कर्ष के आधार भी दावे का इस आधार पर विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक के साथ जो घटना घटित हुई है, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है क्योंकि गाडी स्टार्ट हो जाने के बाद वह ट्रेन में सवार हो रहा था. साथ ही पेश किया गया टिकट भी 30 घंटे के पहले का होने से वैध नहीं है. इस प्रकार घटना के समय आवेदक बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं था एवं आवेदक द्वारा स्टार्ट हो चुकी ट्रेन में सवार होने का जो प्रयास किया गया है, उसके लिए मुआवजा देने की अपनी किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दावे को व्यय सहित खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट द्वारा की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :-

1) *Whether the applicant proves that he was a bonafide passenger of the Train in question when the alleged untoward incident occurred ?*

2) *Whether the applicant proves that the alleged untoward incident falls within the meaning of the Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the applicant proves that he has suffered injuries as alleged ?*

4) *Whether the Respondent railway administration is protected under the exemption clause to Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to applicant ?*

5) *Relief & Cost ?*

4. आवेदक ने अपने स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्यों के रूप में *A-1* से लेकर *A-8 14* तक के दस्तावेज पेश किये हैं. वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश किया गया है. साक्षी के तौर पर आवेदक का प्रति-परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया।

निरंतर.....3/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक रजिस्ट्रार
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

5. सुनवाई के दौरान ही घायल आवेदक–सोनू ऋषि की दिनांक 23.10.2022 को मृत्यु हो जाने से उसके आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों *(A-10 to 14)* के साथ विधिक उत्तराधिकारी के तौर पर पत्नी, पुत्री एवं माता–पिता प्रकरण में सम्मिलित हुए, किन्तु, प्रकरण में सुनवाई घायल के तौर पर ही की जा रही है.

6. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुनकर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज कमांक–1 :

7. प्रकरण में बुनियादी साक्ष्य एवं साक्षियों के कथनों तथा रेस्पांडेन्ट की ओर से *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त में डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, के आधार पर रेस्पांडेन्ट ने यह स्वीकार किया है कि घायल (अब मृतक) अपने भाई व अन्य 4 के साथ मजदूरी करने सेमापुर से सागर की यात्रा इलाहाबाद से सोमनाथ एक्सप्रेस से करते समय मैहर स्टेशन पर उसके साथ घटित घटना को स्वीकार किया है एवं यह भी स्वीकार किया है कि वह मैहर स्टेशन पर पानी पीने के लिए नीचे उतरा था एवं पुनः सवार होते समय चलती ट्रेन में सवार होते समय दुर्घटना का शिकार हो गया था. किन्तु अपना विरोध उसने इन बातों तक सीमित रखा है कि प्रथम यह कि घटना के लिए घायल (अब मृतक) स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़ना–उतरना जान को जोखिम में डालना ही कहलाएगा, दूसरा यह कि आवेदक ने दावा किये गये जो टिकट बताये हैं, वे सेमापुर से दिनांक 12.06.2019 के है एवं उसके साथ मैहर स्टेशन पर घटना दिनांक 15.06.2019 को घटित हुई है. इस प्रकार उक्त टिकट 30 घंटे से भी अधिक पुराना होने से घटना के समय वह बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं कहलाएगा.

8. घायल (अब मृतक) ने अपने प्रति–परीक्षण में रेस्पांडेन्ट के टिकट के मुद्दे पर उठाई गई आपत्तियों से इनकार करते हुए यह कहा है कि उसके पास इलाहाबाद से आगे की यात्रा करने का दिनांक 14.06.2019 का टिकट था.

9. पीठ द्वारा दिनांक 09.11.2023 को प्रकरण में जब सुनवाई की थी तब यह स्थापित हुआ था कि आवेदक के पास इलाहाबाद से कटनी की यात्रा के लिए जो टिकट था, वह 30 घंटे से भी ज्यादा पुराना था.

10. हमारे द्वारा उक्त को ध्यान में रखते हुए परिस्थितिजन्य हालातों व उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया तथा पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई सारगर्भित बहस को ध्यानपूर्वक सुना. प्रथम यह कि घायल (अब मृतक) के साथ ट्रेन में सवार होते समय घटना घटित हुई है, एवं यह भी स्थापित है कि घायल (अब मृतक) तब सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में इलाहाबाद से यात्रा कर रहा था, अतः यदि

निरंतर.........4/पर

Sd/- Sd/-

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण, भोपाल पीठ, भोपाल
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

उसके पास पुराना टिकट था भी तो यह रेल नियमों के अनुसार जुर्माने वाला अपराध है एवं चैकिंग के दौरान अतिरिक्त किराया/जुर्माना वसूला जाता है अतः जब वह सोमनाथ एक्सप्रेस में इलाहाबाद से मैहर स्टेशन की दूरी की यात्रा कर चुका था तो यह माना जाता है कि रेस्पांडेन्ट के चेकिंग स्टॉफ द्वारा उसके टिकट को चेक किया गया होगा और इसे नियमानुसार माना होगा, अतः रेस्पांडेन्ट का यह तर्क नहीं स्वीकारा जा सकता कि घायल (अब मृतक) बिना टिकट या उचित टिकट या पुराने टिकट के आधार पर यात्रा कर रहा था, क्योंकि माननीय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण संख्या–*Misc. Appeal No. 1202 of 2017, decided on 30-01-2023 (Sudhir Batham and another vs. UoI* के पैरा–6 में साफ तौर पर प्रतिपादित कर दिया है कि ..... *Ticket checkers also travel in the train for the purpose of checking tickets. It is not the case of the respondent that the ticket checker had found the deceased travelling without the valit ticket. No person can enter inside the platform in absence of either travelling ticket or platform ticket.....* साथ ही टिकट के बारे में माननीय सुप्रीमकोर्ट के प्रकरणों (1)–*भारत संघ वि0 रीना देवी प्रकरण CIVIL APPEAL NO. 4945 OF 2018 (SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO.10223 @ D.NO.6059 OF 2018; decided on 09th May, 2018)* के पैरा कमांक–17.1, (2) *Civil Appeal No 8605 of 2024 (Arising out of SLP(C) No 32962 of 2018) Doli Rani Saha vs. Union of India* के पैरा कमांक–13 एवं 14 तथा (3) *रजनी एवं अन्य वि0 भारतसंघ* में भी माननीय सुप्रीमकोर्ट ने SPL (C) No. 19549 of 2024 में दिनांक 08.10.2025 को पारित अपने आदेश के पैरा–14 में प्रतिपादित न्यायसिध्दान्तों से उदीत हुई वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इसी पीठ के दिनांक 09.11.2023 को पारित आदेश को अनदेखा करते हुए यही मान्य करते हैं कि घायल (अब मृतक) घटना के समय उचित टिकट के आधार पर ही सोमनाथ एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था इसलिए तत्समय घायल (अब मृतक) बोनाफाइड पैसेन्जर होना हम अवधारित करते हुए इश्यूज क्रमांक–1 का विनिश्चय घायल (अब मृतक) के पक्ष में किया जाता है.

इश्यूज कमांक–2 :

11. रेस्पांडेन्ट ने अपनी डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* में यह मान्य कर लिया है कि घटना के समय घायल (अब मृतक) सोमनाथ एक्सप्रेस में इलाहाबाद से कटनी तक की यात्रा कर रहा था एवं मैहर स्टेशन पर वह पानी पीने के लिए नीचे उतरा था तथा पानी पीकर गाड़ी में सवार होते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, किन्तु घटना के लिए घायल (अब मृतक) ही जिम्मेदार है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद वह चलती गाड़ी में सवार हो रहा था एवं चलती गाड़ी में चढ़ना–उतरना निश्चित तौर पर अपनी जान को जोखिम में डालना ही कहलाएगा अतः यह घटना अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की बाहर की घटना है.

12. चूँकि घायल (अब मृतक) अपने साथियों के साथ सेमापुर से लंबी दूरी की यात्रा करते हुए आ रहा था एवं उसे मैहर स्टेशन से आगे भी अपनी यात्रा करनी थी, इसलिए उसका इसी गाड़ी में पुनः सवार होना लाजिमी भी था, अतः परिस्थितिजन्य हालातों को देखते हुए हम इसे घायल (अब मृतक) द्वारा जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं मानते हैं एवं न ही इसमें उसके द्वारा ऐसी कोई लापरवाही बरती गई है, जो कि *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों से

निरंतर.....5/ पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

आच्छादित हो जाएं, क्योंकि स्टेशन/प्लेटफार्म पर ट्रेन में सवार होते समय अथवा उतरते समय होने इस प्रकार की घटनाओं को *माननीय आन्ध्र हाईकोर्ट* द्वारा अपने प्रकरण *Union Of India (Uoi), through General Manager, Southern Railway vs Kurukundu Balakrishnaiah And others on 8 December, 2003 (reported- II (2004) ACC 591)* के पैरा–19 में *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन अनटुवर्ड इंसीडेन्ट में ही सम्मिलित किया है, जिसको कि *माननीय सुप्रीमकोर्ट* द्वारा भी अपने प्रकरण– *भारतसंघ विo रीनादेवी प्रकरण (CIVIL APPEAL NO. 4945 OF 2018 (SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO.10223 @ D.NO.6059 OF 2018; decided on 09th May, 2018)* में उल्लेखित किया है. अतः माननीय सुप्रीमकोर्ट एवं आन्ध्रा हाईकोर्ट के उल्लेखित न्यायसिध्दान्त को ध्यान में रखते हुए हम रेस्पांडेन्ट की दी गई दलीलों को विधिसम्मत नहीं मानते हैं एवं यही अवधारित करते हैं कि घायल (अब मृतक) के साथ घटित उक्त घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन –123 (c) (2)* के अन्तर्गत बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना थी. तदनुसार इश्यूज क्रमांक–2 साबित होने से घायल (अब मृतक) के पक्ष में निर्णीत किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–3, 4 एवं 5 :

13. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन तीनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. दावे के साथ पेश किये गये बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्यों, यथा ए–1 से लेकर 3 एवं ए–6 से लेकर ए–7 के अनुसार ट्रेन से गिरकर घायल होने पर घायल (अब मृतक) को पहले निकटस्थ मैहर के सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर उसको आई चोटों की एमएलसी की गई. बाद घायल (अब मृतक) को सतना के जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया. कटिहार मेडिकल कॉलेज के डिस्चार्ज टिकट के अनुसार घायल (अब मृतक) यहाँ पर दिनांक 21.06.2019 से 27.09.2019 तक करीबन 3 माह तक उपचाररत् रहा था. इन दस्तावेजों के अनुसार घायल (अब मृतक) का बांया पैर घुटने के नीचे से विच्छेदित हुआ है. आवेदक के विच्छेदन को दर्शाने वाला फोटो एवं दस्तावेजों के अनुसार यह विच्छेदन *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016 की अनुसूची* के भाग–III की मद संख्या-20 में सम्मिलित होती है. अतः साबित हुई उक्त सूचीबध्द चोट के लिए आवेदक को निर्धारित प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए आवेदक को घुटने के नीचे से आई हुई विच्छेदन की चोट के लिए निर्धारित राशि रूपये *4,00,000/-* दिये जाना न्यायोचित समझते हैं. इस राशि पर घटना दिनांक *15-06-2019* से वास्तविक भुगतान तिथि तक *(इसमें से आवेदक–साक्ष्य प्रस्तुत न करने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि दिनांक 04-03-2022 से दिनांक 03-03-2023 तक एवं घायल आवेदक की मृत्यु होने के बाद उसके विधिक–उत्तराधिकारियों द्वारा कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 31-01-2024 से दिनांक 10-07-2025 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* 09% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने का आवेदक हकदार है.

निरंतर.....6/पर

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

15. चूंकि सुनवाई के दौरान घायल आवेदक की दिनांक 23.10.2022 को मृत्यु हो गई है, अतः प्रकरण में घायल आवेदक (अब मृत) की पत्नी, पुत्री एवं माता–पिता के तौर उसके विधिक उत्तराधिकारियों के तौर पर दस्तावेजों *(A-10 to 14)* के साथ उपस्थित होने पर संयोजित उसके इन विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तदनुसार इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

16. अतः दावा आवेदन स्वीकार किया जाता है और रेस्पांडेन्ट रेलवे प्रशासन को प्रतिकर राशि रूपये 4,00,000/- (राशि रूपये चार लाख) एवं इस राशि पर घटना दिनांक *15-06-2019* से वास्तविक भुगतान तिथि तक *(इसमें से आवेदक–साक्ष्य प्रस्तुत न करने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि दिनांक 04-03-2022 से दिनांक 03-03-2023 तक एवं घायल आवेदक की मृत्यु होने के बाद उसके विधिक–उत्तराधिकारियों द्वारा कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 31-01-2024 से दिनांक 10-07-2025 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* 09% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित गणित कुल राशि भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है.

17. रेस्पांडेन्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अपर पंजीयक / रेदाअ / भोपाल के सूटर्स खाते में मुआवजा राशि को जमा करेगा तथा अपर पंजीयक / रेल दावा अधिकरण आवेदक / कों / लाभार्थी / यों के बैंक डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद दिये गये आदेश के अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करेगा.

18. जहाँ तक अवार्ड की गई राशि के वितरण का सवाल है तो इस सम्बन्ध में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गीता देवी वि0 भारतसंघ में पारित निर्णय के पैरा–5 के अनुसरण में, वर्तमान मामले में ब्याज सहित प्रतिकर राशि का वितरण निम्न तालिका के अनुसार किया जाएगा :–

SN	Name of the LR of Late Shri Sonu Rishi	Age in Years	Amount awarded (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	हीरामनि कुमारी	26	2,00,000/-
2)	पल्लवी कुमारी	05	1,00,000/-
3)	रामजी ऋषि	50	50,000/-
4)	भूथी देवी	45	50,000/-

19. लाभार्थी क्रमांक–1, 3 एवं 4 को उक्त तालिका के कॉलम–4 की राशि में से 10% राशि एवं इस पर आनुपातिक ब्याज को ECS/NEFT के द्वारा उसके संबंधित बचत बैंक खाते में तत्काल जारी कर दिया जाएगा एवं शेष 90% राशि एवं इस पर आनुपातिक ब्याज को उनके निवास स्थान के निकट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके नाम से 05 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट किया जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज का मासिक तौर पर भुगतान किया जाएगा. लाभार्थी संया–2 चूंकि अवयस्क है इसलिए ब्याज सहित संदेय इसकी प्रतिकर राशि को इसके वयस्क होने की अवधि तक फिक्स्ड डिपाजिट किया जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज इसके लालन–पालन के लिए नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से लाभार्थी संख्या–1 मासिक तौर पर आहरित कर सकेगी.

20. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत / शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा.

शेष......7/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

21. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पैनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे. अपर पंजीयक उक्त का सत्यापन करने के बाद उक्त दावा राशि का दिये गये आदेशानुसार भुगतान करेगा

22. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से एक माह के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

23. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर). उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

24. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

(अनीता सर्मा) 28/11/2025
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

(जय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28th November, 2025 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

(अनीता सर्मा) 28/11/2025
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

(जय कुमार गर्ग) 28/11/25
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल